आज का विचार

भ्रांति और काल्पनिक सवाल बेवजह परेशानी पैदा करते हैं जो हो ही नहीं रहा है उसे लेकर भयभीत होने का तो कोई कारण ही नहीं होता।

(शिवकुमार त्रिवेदी चिंतन सरिता)

दैनिक लोकजीवन

जनगणना में दस्तावेज नहीं मांगेंगे...!!

वर्तमान में देश भर में नागरिकता को लेकर तरह-तरह के चर्चे हो रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक वर्ग को भ्रमित किया जा रहा है तो अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय आशंकित है कि उन्हें अपनी जन्म भूमि पर भी कल को व सिद्ध करने की जरूरत पड़ सकती है कि क्या सबूत हैं कि आप भारतीय है अर्थात यहां के नागरिक होने सम्बन्धी दस्तावेजी सबूत मांगे जा सकते हैं और उपलब्ध नहीं होने सबन्धी दस्तावेजी सबूत मांगे जा सकते हैं और उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। निश्चय ही यह काल्पनिक सवाल है जिनके लिए वे किस पर भरोसा करें यह भी तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री व गृहमंत्री ही नहीं सरकार कई तरीकों से देश की जनता को आश्वस्त कर चुकी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो कठोरता पूर्वक मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया है बावजूद इसके देश में विरोध का दौर थम नहीं रहा है। जबकि सच्चाई भी यही है कि नागरिकता संशोधन विधेयक केवल उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है जिन्हें पाकिस्तान बांग्लादेश या अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया गया था और वे दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत में आ गये भारत की नागरिकता देना है। न कि किसी की नागरिकता छीनना, एनआरसी सुप्रीमकोर्ट के निर्देश र असम के लिए है तो एनपीआर अर्थात जनसंख्या रजिस्टर प्रति दस वर्ष देश की आबादी को गिनने की प्रक्रिया है और यह रजिस्टर कल्याणकारी योजना बनाने में सहायक हो सकता है। उहा पोह के इस दौर में संसद में लिखित उत्तर में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि एनसीआर पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने सदन में स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर एनसीआर लाने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करते समय कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जायेगा और आधार नम्बर भी स्वैच्छा से दिखाया जा सकता है। बाध्यता नहीं होगी। गृह राज्यमंत्री ने लिखित सवार के जवाब में कहा कि एनपीआर अपडेट करने के दौन किसी भी तरह का दस्तवेज नहीं मांगा जायेगा। लोगों को सिर्फ अपने बारे में सही जानकारी देनी होगी। एनपीआर का काम देश भर में एक अप्रेल से 30 सितम्बर 2020 तक होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जिसमें किसी व्यक्ति के गांव, शहर, वार्ड में उसके निवास की जानकारी दर्ज होती है केन्द्र सरकार को यह रजिस्टर सितम्बर तक तैयार करना है हालाकि इसमें असम प्रदेश शामिल नहीं है आज आवश्यकता इस बात की है कि भ्रांतियों को दूर कर एकता व भाईचारे को मजबूत करते हुए जनगणना अभियान में सकारात्मक सहयोग किया जाये।

कड़वी घूंट -सूरज

मंत्री भी फरियादी

जो देने वाला होता है मांगने वाले उसके द्वार पर पहुंचते है लेकिन देने वाला खुद ही लाचार हो जाय तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि सक्षम कौन लांकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार बनती और चलती है ऐसे में चुने हुए जन प्रतिनिधि सरकार में मंत्री पद पर विराजित होकर सरकार चलाते है। इसीलिए उन्हें ही सरकार मान लिया जाता है और सरकार स्वयं नीति निर्माता होती है। लोगों के कष्ट निवारण का दायित्व सरकार पर ही होते है कि समस्या का तत्परता से निदार करें करवायें। विपरीत इसके दिखने मंत्री सरकार चलाते है परन्तु अधिकारी कर्मचारी उनके सहयोगी होते है और यह वर्ग जन प्रतिनिधि या मंत्री को अनदेखा करने लगे या जन प्रतिनिधि को असहयोग करने पर उतर आये तो जन प्रतिनिधि और मंत्री गण भी बेबस और लाचार नज़र आने लगते है। तब उन्हें भी मदद की गुहार करने पहुंचना पड़ जाता है। हां इन दिनों प्रदेश के मंत्रीगण जन सुनवाई कर रहे है और प्रदेश के एक मंत्री जी भी फरियादी के साथ फरियाद करने पहुंच गये। भले ही मंत्री जी ने फरियादी मंत्री को अपने साथ बिठा कर सम्मान दिया और उनकी पीड़ा को निराकरण के लिए अर्जी सम्बन्ध विभाग को भेज दी। लेकिन थे तो फरियादी ही। अब यह आप जानों कि खुद सरकार की ही सरकार में सुनवाई नहीं या अफ़सर उनकी बात नहीं मान रहे तो आम जन कैसे उम्मीद कर कि उनकी सुनवाई होगी।

आम लोगों को नहीं मिली राहत, आरबीआई ने रेपो दर पर लिया ये फैसला, जीडीपी पर जताया अनुमान

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 5.15 फीसदी पर बरकरार रहेगी। इसलिए कर्ज लेने वालों को कोई राहत नहीं मिली है। इससे पहले पांच दिसंबर को भी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। बता दें कि केंद्रीय बैंक खुदरा महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रमुख नीतिगत दरों पर फैसला लेता है। 2019 में रेपो दर में कुल 135 आधार अंकों की कटौती हुई थी। नौ सालों में पहली बार रेपो रेट इतना कम है। मार्च, 2010 के बाद यह रेपो रेट का सबसे निचला स्तर है। वहीं, रिवर्स रेपो रेट 4.90 फीसदी पर बरकरार है। सीआरआर चार फीसदी पर है, एसएलआर 18.25 फीसदी और बैंक रेट 5.40 फीसदी पर।

जीडीपी पर जताया अनुमान

साथ ही बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी ग्रोथ छह फीसदी रहेगी। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि भविष्य में मुद्रास्फीति के उच्च बने रहने की आशंका है। वहीं, आगामी वित्त वर्ष की पहले छह महीने में वृद्धि दर 5.5 फीसदी से छह फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। जबकि, वित्त की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.2 फीसदी रहने का अनुमान है।

4 फरवरी को शुरू हुई थी बैठक

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक चार फ़रवरी को शुरू हुई थी। इसमें रेपो रेट पर कोई फैसला करते समय खुदरा महंगाई को ध्यान में रखा जाता है, जो पांच फीसदी से ज्यादा पहुंच चुकी है।

यह था अनुमान

पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि साल 2019 में रेपो रेट के रिकॉर्ड पांच बार लगातार कटौती करने के बाद रिजर्व बैंक नए वित्त वर्ष की शुरुआत सख्त फैसलों के साथ कर सकता है। विश्लेषकों को अनुमान था कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा बढ़ने के दबाव के कारण आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5 फीसदी रखा है।

क्या है रेपो रेट

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। अगर रेपो रेट में कटौती का फायदा बैंक आप तक पहुंचाते हैं तो का आम लोगों को इससे फायदा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाने से बैंकों पर ब्याज दरों में कटौती करने का दबाव रहता है। इससे लोगों को लोन सस्ते में मिलता है। हालांकि बैंक इसे कब तक और कितना कम करेंगे ये उन पर निर्भर करता है।

महिला शिक्षक को ब्लेकमेल कर चार दिन तक दुष्कर्म

जयपुर। राजस्थान के चूरू जिले में सरकारी स्कूल की महिला शिक्षक के साथ चार दिन तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला के किसी अश्लील वीडियो को वायरल करने और बच्चे को मारने की धमकी दे कर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने चूरू के महिला थाने में मामला दर्ज कराया है।

पड़ित महिला ने झुंझुनूं जिले के मोहित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता का अगस्त 2017 में चूरू के नजदीक एक गांव के सरकारी स्कूल में तबादला हुआ था। महिला यहां किराए का मकान लेकर रह रही थी। एक साल पहले आरोपी मोहित कुमार ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह छह माह तक शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में महिला आरोपी की धमकियों से तंग आकर उसी गांव में रहने लगी जहां उसका स्कूल था। आरोपी यहां भी आ पहुंचा और वीडियो वायरल करने और महिला के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर उसे होटल में बुलाया तथा चार दिन तक बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया।

सेनाध्यक्ष नरवणे बोले- युद्धविराम उल्लंघन में हुई वृद्धि, पाक कर रहा घुसपैठ की कोशिश

नई दिल्ली। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने हथियारों, पाकिस्तान द्वारा होने वाले युद्ध विराम के उल्लंघन और आतंक को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइलों को फॉर्वर्ड एरिया में तैनात किया जाएगा। वहीं युद्ध विराम के उल्लंघन को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लॉन्चपैड के जरिए आतंकियों को भारत में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, 'हथियार (सिग सॉयर असॉल्ट राइफ्लें और स्पाइक एंटी-टैंक मिसाइल) प्राप्त कर ली गई है और उन्हें तैनात किया जा रहा है। उन्हें फॉरवर्ड एरिया में तैनात जवानों को दिया जा रहा है।' सोनाध्यक्ष नरवणे ने आईईडी हमलों को लेकर कहा, 'आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंकने और इम्प्रोवाइस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) हमलों या आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कश्मीर घाटी में पिछले छह महीनों में इसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है।'

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India सार्क-47 राजेन्द्र माग, जिला भीलवाड़ा **मांग सूचना**

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसे आगे अधिनियम कहा गया) की धारा 13 (2) के अन्तर्गत सूचना

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी के खाते के एन.पी.ए होने के कारण ऋण राशि एवं भविष्य का ब्याज जमा कराने के लिए उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत 60 दिन का मांग नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार 60 दिन में ऋण राशी जमा नहीं कराने पर उक्त एक्ट की धारा 13 (4) के प्रावधान के अनुसार ऋण की राशी वसूल की जानी थी। चूंकि आपको उक्त एक्ट के अन्तर्गत भेजे गये नोटिस की तामील का दस्तावेज शाखा को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जरिये नोटिस प्रकाशन सूचित किया जाता है कि निम्न सूची के अनुसार ऋण राशि व भविष्य का ब्याज एवं खर्चा जमा करायें अन्यथा उक्त एक्ट की धारा 13 व 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत बैंक साम्यिक बंधक सम्पत्ति को कब्जे में लेने की कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगी।

ऋणी/जमानती का नाम व पता एवं शाखा का नाम एनपीए की दिनांक	मांग सूचना की दिनांक एवं बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण
ऋणी:- श्री किशन लाल खटीक पुत्र लक्ष्मी लाल खटीक, पता:1- देवरीया, तहसील राईपुर जिला भीलवाडा, 2. बंशी लाल खटीक प्रेम नगर सांगानेरी गेट भीलवाडा, 3. पंचायती नोहरा के पास खटीक महौल्ला भीलवाडा, 4. खटीक मौहल्ला वार्ड नं. 40 सांगोनरी गेट भीलवाडा खाता संख्या:- 35629517062 एन.पी.ए. की दिनांक. 10.01.2020	दिनांक 18.01.2020 बकाया राशि रू.14,10,047/- दिंनाक 14.01.2020 तक का ब्याज सम्मिलित है इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त	बंधक अचल रिहायशी सम्पत्ति जो वार्ड नं.40 खटीक महौल्ला सांगोनरी गेट गौशाला के पीछे जिला भीलवाडा मे स्थित है जो किशन लाल खटीक पुत्र लक्ष्मी लाल खटीक के नाम से है सीमाएँ:- पूर्व में :- पंचायती नोहरा, पश्चिम में: प्यार चंद तेली, उत्तर में:- कन्हैया लाल तेली, दक्षिणमें :- आम रास्ता

दिनांक :-05.02.2020 स्थान :- भीलवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी (भारतीय स्टेट बैंक)

राम मंदिर ट्रस्ट पर संतों में घमासान बोले- संघर्ष नजरअंदाज किया गया

लोकजीवन न्यूज नेटवर्क, अयोध्या

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी गई। ट्रस्ट का नाम 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' रखा गया है। अयोध्या विवाद में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील रहे 92 वर्षीय के परासरन को राम मंदिर ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाया गया है। ट्रस्ट का गठन होने के बाद से ही मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतों के बीच घमासान शुरू हो गया है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के स्वरूप का विरोध शुरू कर दिया है।

गुरुवार सुबह से ही राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास जी की छावनी में ऐसे महंत एकत्रित होने लगे हैं जो ट्रस्ट के स्वरूप से असहमत हैं। खुद नृत्य गोपाल दास ने शासकीय ट्रस्ट के स्वरूप को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया और मंदिर आंदोलन को गति देने वाले धर्म आचार्यों की उपेक्षा पर विरोध जताया। यहां पहुंचे संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास और दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने भी नवगठित ट्रस्ट का विरोध किया।

राम जन्मभूमि के न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास सरकारी ट्रस्ट में जगह न मिलने के कारण नाराज हुए। उन्होंने कहा कि हमने दिगंबर अखाड़ा राममंदिर के लिए हर लड़ाई लड़ी, राममंदिर आंदोलन के लिए हमने पूरी जिंदगी लगा दी। ट्रस्ट में न दिगम्बर अखाड़े का नाम है और न ही मेरा नाम है, ये अयोध्या वासियों का अपमान किया गया है। वहीं दिगम्बर अखाड़े के महंत सुरेश दास ने कहा है कि आज तीन बजे संतों महंतों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ट्रस्ट को लेकर अगली रणनीति तय की जाएगी।

रक्तदान शिविर 16 फरवरी को

भीलवाड़ा। विजय सिंह पथिक नगर में माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा 16 फरवरी, रविवार को रक्त दान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर अध्यक्ष कृष्णगोपाल माल्, सचिव पुरुषोत्तम बसेर, प्रभारी चिराग मंडेवरा, प्रकाश गंदोड़िया, सह प्रभारी सुभाष लढ़ा, शिव मुन्दड़ा तैयारियों में जुटे है।

मिया मुशाजी (रजि.) हर समस्या का समाधान, नौकरी, कारोबार, गृहक्लेश, पति-पत्नी में अनबन, प्रेमविवाह, संतानदु:ख, सौतन, दुश्मन छुटकारा कर्जमुक्ति, कोर्टकेस, प्यार में धोखा खाये एक बार अवश्य मिलें- भीलवाड़ा, बड़ला चौराहा, जम-जम्रेस्टोरेंट के पास भीलवाड़ा:77421-43969, 96947-97492

RANJAN POLYSTERS LIMITED

Regd. Office: 11-12th K.M Stone, Chittorgarh Road, Guwardi, Bhilwara- 311001 (Rajasthan).
Email: ranjanpoly@gmail.com, Website: www.ranjanpolysters.com
CIN: L24302RJ1990PLC005560, Tel No.- 01482-249095,

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

(Rs. in Lacs, except as stated)

Sl. No.	Particulars	Unaudited				Audited
		Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.03.2019
1.	Total Income from Operations (Net)	1162.71	959.10	3576.31	3133.98	4344.23
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	12.75	32.12	49.83	71.19	83.74
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	12.75	32.12	49.83	71.19	83.74
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax(after Exceptional and/or Extraordinary Items)	10.49	0.58	41.87	22.39	69.81
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	10.35	-0.45	41.73	19.30	69.65
6.	Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	300.09	300.09	300.09	300.09	300.09
7.	Reserve excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year.					620.40
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinued operations) - 1.Basic 2. Diluted	0.35 0.35	0.02 0.02	1.40 1.40	0.75 0.75	2.33 2.33

Note:-
1. The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 05th February, 2020. The Statutory auditors have carried out a limited review of the results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019
2. The results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019 have been restated to Comply with Ind AS to make them comparable with the Current Period. Further previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to confirm with the current period presentation.
3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Nine Months ended Financial Results is available on the Stock Exchange website, www.msei.in and on the company's website, www.ranjanpolysters.com.

By the order of the Board
sd/-
Mahesh Kumar Bhimsaria
Managing Director
D No. 00131930

Date: 05th February 2020
Place: Bhilwara